



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252030
CG-DL-E-13022024-252030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945

No. 587]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.आ. 618(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 124.3 किमी. से 160.113 किमी. के NH63 (आमूर - जगतियाल - मंचेरियल अनुभाग) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH63 (आमूर - जगतियाल - मंचेरियल अनुभाग) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	राजस्व मंडल अधिकारी, मंचेरियल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63	तेलंगाना	मांचेरियल	हाजीपुर	1 कर्नामिदि

		के कि.मी 124.3 से कि.मी 160.113 तक			
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/MNCL/AJM/2024/3a-02]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2024

S.O. 618(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 124.3 to Km. 160.113 of the NH63 (Armoor - Jagtial - Mancheria Section) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TELANGANA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH63 (Armoor - Jagtial - Mancheria Section) in the State of TELANGANA.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Revenue Divisional Officer, Mancheria	NH63 KM 124.3 TO KM 160.113	TELANGANA	MANCHERIA	HAJIPUR	1 Karnamamidi

[F. No. NHAI/PIU/MNCL/AJM/2024/3a-02]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.